न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2019 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	श्री रतनलाल पिता नाथु निवासी नई राज्यास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.06.2019

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./766/2007/भीलवाडा सरकार बनाम रतनलाल नई निर्णय दिनांक 11.09.2017 इस प्रकार है– प्रार्थी तहसीलदार, शाहपुरा ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु सं. 1, 4 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया गया कि ग्राम नई राज्यास तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नंबर 1148 रकबा 79.18 बीघा किस्म तालाब जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 के अनुसार बिलानाम गे.मु.तालाब अंकित है। उक्त आराजी भू–भाग रकबा 79.18 में से नामांतरकरण संख्या 173 रकबा 2.15 बीघा भूमि विपक्षीगण के पिता को आवंटन होकर राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया गया। जिसके नवीन बन्दोबस्त के दौरान अन्य खसरा नंबरान के साथ–साथ विपक्षीगण को आवंटन किए गए भू–भाग रकबा 2.15 बीघा के नवीन खसरा नंबर 30, 31, 36, 37, 38 में से रकबा 0.69 हैक्टेयर कायम किया गया है। जिसकी पुष्टि भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से होती है। उपरोक्त भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की होकर किसी के भी आवंटन/नियमन अथवा राजस्व रेकार्ड में व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं हो सकती है। विवादित आराजी भू–भाग विपक्षीगण के नाम नियमों के विरूद्ध दर्ज की गई है, जो रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 82 के अंतर्गत निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रतिवेदन स्वीकार कराया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 30, 31, 36, 37, 38 में से रकबा 0.69 हैक्टेयर भूमि किस्म गे.मु.तालाब को विपक्षीगण के खाते से पुनः बिलानाम दर्ज कराया जावे। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिये, किन्तु प्रकरण में जमाबंदी संवत् 2061–64 में खसरा नम्बर 30,31,36,37,38 किता 7 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. हैं और इन नम्बरान में से रकबा 0.69 हैक्ट. को बिलानाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस खसरा नम्बर में से कितना कितना रकबा बिलानाम किस्म गे.मु. तलाबी अंकित किया जाना हैं ? प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि मामले की पुनः जांच कर किस खसरा नम्बर में से कितना कितना रकबा बिलानाम किस्म

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गे.मु. तलाबी अंकित किया जाना हैं ? से संबंधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 11.09.2017 के निर्देशानुसार तहसीलदार शाहपुरा से जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2019 से प्राप्त अनुसार –

1. पटवारी हल्का देवरिया की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नई राज्यास में हाल आराजी नं. 30 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी नं. 31 रकबा 0.35 हैक्ट., आराजी नं. 37 रकबा 0.35 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. एवं आराजी नं. 38 रकबा 0.34 में से 0.04 हैक्ट. कुल 0.69 हैक्ट. भूमि को गे.मु. तलाब अंकित किया जाना हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म नाला–नाली अंकित थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार होकर आवंटन आदेश व संस्थित किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाना युक्ति–युक्त हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, जहाजपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम नई राज्यास तहसील शाहपुरा के हाल आराजी नं. 30 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी नं. 31 रकबा 0.35 हैक्ट., आराजी नं. 37 रकबा 0.35 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. एवं आराजी नं. 38 रकबा 0.34 में से 0.04 हैक्ट. कुल 0.69 हैक्ट. भूमि को विपक्षी रतनलाल पिता नाथु निवासी नई राज्यास तहसील शाहपुरा के नाम से खारिज कर पुनः गे.मु. तलाब अंकित दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)